

**न्यायालय:- श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक  
मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला-बड़वानी (म.प्र.)**

विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 49 / 2009  
संस्थान दिनांक 16.12.2009

श्रीमती सोनल पति देवेन्द्र खेड़े, आयु 28 वर्ष  
व्यवसाय-कुछ नहीं, निवासी-पुनासा डेम,  
हाल मुकाम अंजड़, तहसील अंजड़  
जिला - बड़वानी म.प्र.

----- प्रार्थी

**वि रु द्ध**

देवेन्द्र पिता हरेसिंह खेड़े, आयु 30 वर्ष  
निवासी- पुनासा डेम, जिला खण्डवा म.प्र.

----- प्रतिप्रार्थी

**// आ दे श //**

**// आज दिनांक 21.07.2015 को पारित //**

1. इस आदेश द्वारा प्रार्थी के आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 125 द.प्र.सं. दिनांक 16.12.2009 का निराकरण किया जा रहा है, जिसके द्वारा प्रार्थी श्रीमती सोनल ने स्वयं के भरण-पोषण हेतु 3,000 /- (अक्षरी तीन हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह भरण-पोषण व्यय उसके पति प्रतिप्रार्थी देवेन्द्र से दिलवाये जाने का निवेदन किया है।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थी का विवाह प्रतिप्रार्थी से हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार दिनांक 30.11.2008 को सम्पन्न हुआ था, विवाह के बाद प्रार्थी एवं प्रतिप्रार्थी पुनासा डेम में निवास करते रहे। इस प्रकार प्रार्थी प्रतिप्रार्थी की विवाहित पत्नी थी। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि प्रार्थी एवं प्रतिप्रार्थी के मध्य हुए विवाह को माननीय जिला न्यायाधीश बड़वानी द्वारा सिविल वाद क्रमांक 8ए/11 निर्णय दिनांक 20.09.11-12 में विच्छेदित कर दिया गया है।
3. प्रार्थी का आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थी को अपने साथ 4-5 माह तक रखा और उस अवधि में प्रतिप्रार्थी रातभर अपने घर से बाहर रहता था और प्रार्थी का आये दिन मारपीट एवं गाली-गलोच कर शारीरिक एवं मानसिक यातनाएँ दी जाती थी, किन्तु उसके बाद भी प्रार्थी अपने विवाहित जीवन को बनाये रखने के लिए सब कुछ सहती रही और आवेदन संस्थित करने के लगभग 6 माह पूर्व प्रतिप्रार्थी प्रार्थी को मारपीट कर घर से निकाल दिया तथा प्रार्थी मजबूरीवश अपने माता-पिता के घर अंजड़ में

निवास कर रही है। प्रतिप्रार्थी के अपने पड़ोस में निवास करने वाली कु. ज्योति से शारीरिक संबंध उक्त विवाह के पूर्व से और प्रतिप्रार्थी से उसे एक पुत्री भी है। वह भी प्रतिप्रार्थी के साथ निवास करती है। प्रतिप्रार्थी की एक अन्य लड़की वर्षा के साथ भी अवैध संबंध है तथा प्रतिप्रार्थी रात्रि में उसी के साथ रहता है। प्रतिप्रार्थी को उक्त संबंधों की जानकारी प्रार्थी को प्रतिप्रार्थी के साथ 4-5 माह निवास करने के दौरान प्राप्त हुई। विवाह के बाद प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थी के साथ कभी भी शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किये तथा उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान किया।

4. प्रार्थी एक कम पढ़ी-लिखी है महिला है तथा वह कोई काम नहीं जानती है, जिससे वह अपना भरण-पोषण कर सके। प्रार्थी का भाई आर्थिक रूप से कमजोर है तथा वह भी प्रार्थी का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है। प्रार्थी को चिकित्सा एवं कपड़े तथा भरण-पोषण हेतु 3 हजार रुपये की आवश्यकता है जो प्रतिप्रार्थी आसानी से दे सकता है। प्रतिप्रार्थी शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होकर शासकीय सेवा में है तथा 10,000/- रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करता है जो प्रार्थी को आसानी से प्रतिमाह 3,000/- रुपये भरण-पोषण राशि अदा करने में सक्षम है। प्रार्थी ने प्रतिप्रार्थी से प्रतिमाह रुपये 3,000/- भरण-पोषण दिलाये जाने का निवेदन किया है।

5. प्रतिप्रार्थी प्रार्थी के आवेदन का विरोध करते हुए विवाह के अतिरिक्त शेष सभी अभिवचनों से इंकार किया तथा स्पष्ट किया कि उसके द्वारा प्रार्थी को कभी भी शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया गया और न ही उसे घर से निकाला गया है। प्रार्थी स्वेच्छया से अपने माता-पिता के यहाँ अपनी मर्जी से रह रही है। प्रतिप्रार्थी के किसी अन्य महिला से कोई संबंध नहीं है और न ही कोई संतान है। प्रतिप्रार्थी संविदा पर कार्य करता है और उसकी रात्रिकालीन सेवा करनी पड़ती थी। इस कारण प्रार्थी प्रतिप्रार्थी से विवाद करके प्रार्थी ने जिन महिलाओं से प्रतिप्रार्थी के अवैध संबंध होना बताया है, वे प्रतिप्रार्थी की मौसी हैं। प्रार्थी प्रतिप्रार्थी असत्य लाछन लगाकर मानहानि की है। प्रार्थी एक उच्च शिक्षा महिला एवं प्रायवेट अध्यापन करती है। सिलाई करके प्रतिमाह 8 से 10 हजार रुपये आय अर्जित करती है, जबकि प्रतिप्रार्थी एक संविदा कर्मचारी है, जिससे प्रतिमाह 4,440/- रुपये आय अर्जित होती है। जिसमें वह अपना भरण-पोषण, मकान किराया आदि तथा अपने माता-पिता का भी भरण-पोषण करता है। प्रार्थी अपनी स्वेच्छया से प्रतिप्रार्थी से पृथक निवास कर रही है। प्रार्थी को प्रतिप्रार्थी से कोई भरण-पोषण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं अपना भरण-पोषण करने में सक्षम है। प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थी का आवेदन निरस्त करने की प्रार्थना की है।

6. प्रकरण में विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं :-

1. क्या प्रार्थी प्रतिप्रार्थी से पर्याप्त कारणों से पृथक निवास कर रही है ?
2. क्या प्रार्थी स्वयं का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है ?
3. क्या प्रतिप्रार्थी प्रार्थी का भरण-पोषण करने में सक्षम है ?
4. क्या प्रार्थी प्रतिप्रार्थी से प्रतिमाह भरण-पोषण राशि पाने की अधिकारी है ? यदि हाँ तो किस दर से ।

#### विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 4 के संबंध में

7. प्रार्थी की ओर से अपने आवेदन पत्र के समर्थन में स्वयं प्रार्थी श्रीमती सोनल (आ.सा.1) तथा अपने पिता गजेन्द्र सोनी आ.सा. 2 के भी कथन कराये हैं जबकि प्रतिप्रार्थी की ओर से स्वयं प्रतिप्रार्थी देवेन्द्र (अना.सा.1) के कथन कराये गये हैं। प्रार्थी सोनल (आ.सा.1) ने अपने कथन में बताया कि विवाह के बाद वह अपने ससुराल पुनासा डेम गई थी और उसका पति घर पर नहीं आता था और उसके साथ मारपीट एवं गाली-गलोच करता था और विवाह के बाद 6 माह तक रही और उसे फिर घर से निकाल दिया था। पिछले 4-5 वर्ष से अपने माता-पिता के साथ निवास कर रही है। वह जब से आई है तब से कोई फोन भी नहीं किया और खोज भी नहीं ली और लेने भी नहीं आये। उसका भरण-पोषण उसके माता-पिता करते हैं। उसके पिताजी पंडिताई का काम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। वह अपने माता-पिता पर आश्रित है। विवाह के बाद प्रतिप्रार्थी ने उसके साथ संबंध स्थापित नहीं किये क्योंकि उसके दूसरी महिला से संबंध थे। उसका पति पुनासा डेम में शासकीय नौकरी करता है जिससे प्रतिमाह 10,000/- रुपये मिलते हैं। उसे अपने भरण-पोषण हेतु प्रतिमाह 3 से 4 हजार रुपये की आवश्यकता होती है, जो खर्च उसके पिता उठाते हैं। उसके पति ने उसे कभी भरण-पोषण अदा नहीं किया है। उसके विवाह विच्छेद का प्रकरण बड़वानी न्यायालय में लगा था, जिसमें निर्णय पारित हो चुका है। उसने अपने पति की वेतन स्पिल पेश की है जो प्रदर्शपी 1 है तथा विवाह विच्छेद निर्णय प्रदर्शपी 2 एवं डिक्री प्रदर्शपी 3 है।

8. प्रतिप्रार्थी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में प्रार्थी ने इस सुझाव से इंकार किया कि प्रतिप्रार्थी उसे प्रेमपूर्वक रखता था या वे स्वयं अपने पति के साथ नहीं रहना नहीं चाहती थी। प्रार्थी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि प्रतिप्रार्थी या उसके रिश्तेदार उसे कई बार लेने आये थे, किन्तु वह नहीं गई। प्रार्थी ने स्वीकार किया कि प्रतिप्रार्थी की नौकरी संविदा पर आधारित थी और दिन एवं रात्रि में ड्यूटी पर जाना पड़ता था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से

इंकार किया कि उसने प्रतिप्रार्थी को रात्रि में ड्यूटी पर जाने से मना किया था। प्रार्थी ने स्वयं को कक्षा 10 वीं तक पढ़ना स्वीकार किया है, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि वह सिलाई-कढ़ाई एवं ट्यूसन करके 10,000/- रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करती है। प्रार्थी ने इस सुझाव से इंकार किया कि प्रार्थी के साथ उसके माता-पिता निवास करते हैं तथा उसके माता-पिता भरण-पोषण करते हैं। प्रार्थी ने इस सुझाव से इंकार किया कि प्रतिप्रार्थी उसे रखने को तैयार है लेकिन वह स्वयं तैयार नहीं हुई। प्रार्थी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह प्रतिप्रार्थी के साथ या उसके माता-पिता के साथ विवाद करती थी अथवा प्रतिप्रार्थी ने अपने पति धर्म का पालन किया है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि प्रतिप्रार्थी ने उसे शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया है। प्रार्थी ने स्वीकार किया कि वह प्रतिप्रार्थी के साथ नहीं रहना चाहती है, इसलिए उसने विवाह विच्छेद का प्रकरण लगाया है और उसके दूसरे विवाह की भी चर्चा चल रही है तथा प्रार्थी ने स्पष्ट किया कि दूसरा विवाह नहीं हुआ है। लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह प्रतिप्रार्थी के साथ नहीं रहता चाहती है, इसलिए असत्य परिवाद पेश किया है।

9. गजेन्द्र सोनी आ.सा 2 का कथन है कि प्रार्थी उसकी पुत्री है, प्रतिप्रार्थी उसका जवाई है। विवाह के बाद उसकी पुत्री उसके ससुराल पुनासा डेम चली गई थी। विवाह के उपरांत प्रार्थी ने उसे मायके आने पर बताया था कि प्रतिप्रार्थी उसके साथ नहीं रहता है उसके ससुराल वाले उसे फोन भी नहीं करने देते हैं। जब उसने प्रतिप्रार्थी के परिवार वालों से प्रतिप्रार्थी के व्यवहार की शिकायत की तब उन्होंने कहा कि प्रतिप्रार्थी को सुधारने के लिए ही उसका विवाह किया था। उसे यह भी जानकारी नहीं है कि प्रतिप्रार्थी के पूर्व से ही किसी महिला से संबंध होकर उसकी पुत्री भी है। साक्षी का यह भी कथन है कि विवाह उपरांत लगभग 5-6 माह प्रार्थी प्रतिप्रार्थी के साथ रही, उसके बाद प्रार्थी को मारपीट करके उनके घर छोड़ दिया गया तब से प्रार्थी उसके साथ निवास कर रही है। उसने प्रतिप्रार्थी एवं उसके परिवार के लोगों को समझाने का प्रयास किया किन्तु उन्होंने प्रार्थी को रखने से इंकार कर दिया। प्रतिप्रार्थी पुनासा डेम में इलेक्ट्रिशियन के पद पर कार्य करता है और उसे लगभग 10 से 15 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है। प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थी को कभी भी भरण-पोषण नहीं दिया। वह अपनी पुत्री का भरण-पोषण कर रहा है।

10. प्रतिप्रार्थी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि प्रार्थी ससुराल में ठीक तरीके से नहीं रहती थी या घरेलू कार्य नहीं करती थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि प्रतिप्रार्थी उसकी पुत्री को प्रेमपूर्वक रखता था, लेकिन प्रार्थी उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि प्रतिप्रार्थी उसकी पुत्री को लेने कई बार आया किन्तु उन्होंने नहीं भेजा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रतिप्रार्थी की ड्यूटी कभी दिन में तो कभी रात्रि में रहती थी, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि प्रार्थी प्रतिप्रार्थी को रात्रि में ड्यूटी करने से मना करती थी अथवा

प्रतिप्रार्थी के किसी अन्य महिला से संबंध थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसकी पुत्री सिलाई का काम भी करती है, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि प्रार्थी सिलाई करके से 8 से 10 हजार रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करती है। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि प्रतिप्रार्थी के माता-पिता वृद्ध हो चुके हैं और कभी-कभी बीमार हरते हैं, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि अपने माता-पिता की देखभाल एवं भरण-पोषण प्रतिप्रार्थी करता है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि प्रतिप्रार्थी रात्रि में ड्यूटी करता था, इस कारण उसकी पुत्री अन्य महिला से संबंध होने की शंका करती थी, इसी शंका के कारण प्रार्थी प्रतिप्रार्थी के साथ नहीं रहना चाहती थी। साक्षी का यह भी कथन है कि उसे उसकी पुत्री ने बताया कि प्रतिप्रार्थी ने उसकी पुत्री के साथ पति धर्म नहीं निभाया है। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि प्रतिप्रार्थी संविदा कर्मचारी होकर उसे 4500/- रुपये मिलते हैं अथवा प्रार्थी को साथ में रखना चाहता है। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि प्रार्थी प्रतिप्रार्थी को पसंद नहीं करती है और उसके साथ नहीं रहना चाहती है।

11. देवेन्द्र अना.सा. 1 का कथन है कि प्रार्थी विवाह के बाद से ही उससे विवाद करती थी और उस पर शंका करती थी। प्रार्थी का व्यवहार उसके माता-पिता के साथ अच्छा नहीं था और उससे अकेले रहने के लिए कहती थी। प्रार्थी घर का काम नहीं करती थी और उसे रात्रि में ड्यूटी के लिए मना करती थी। साक्षी का यह भी कथन है कि प्रार्थी उसके साथ 6 माह साथ में रही थी। प्रार्थी उससे विवाद करती थी। प्रार्थी उसके पिता के यहाँ एक कार्यक्रम में गई थी और वही रुक गई थी। वह प्रार्थी को लेने गया था किन्तु प्रार्थी नहीं आई थी। प्रार्थी का कहना है कि अलग रहेंगे, तो आयेंगी। प्रार्थी सिलाई का कार्य करके अपना भरण-पोषण कर लेती है। वह नर्मदा हाइड्रो डेव्लोपमेंट कार्पोरेशन में संविदा पर कार्य करता है, जिसमें उसे प्रतिमाह रुपये 6,500/- रुपये प्रतिमाह प्राप्त होता है, उसकी तीन बहनें एवं माता-पिता भी उसके साथ रहते हैं। वह प्रार्थी को भरण-पोषण देने में असमर्थ है।

12. प्रार्थी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में प्रतिप्रार्थी ने स्वीकार किया कि उसे प्रतिमाह बैंक के जरिये वेतन प्राप्त होता है। वेतन के अतिरिक्त अन्य कोई सुविधा नहीं मिलती है, उसे सभी कटौतों के बाद वेतन प्रतिमाह रुपये 6,700/- मिलता है, लेकिन प्रतिप्रार्थी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह 10 से 15 हजार रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करता है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके पिता सिंचाई विभाग में भृत्य के पद पर पदस्थ थे और उसे प्रतिमाह 6000/- रुपये की पेंशन भी प्राप्त होती है और उसके पिताजी के बाद उसकी पेंशन उसकी माता को प्राप्त होगी। साक्षी ने यह जानकारी होने से इंकार किया कि उसके पिताजी को सेवानिवृत्त होने पर कितनी राशि प्राप्त होगी। साक्षी ने उसकी तीन चचेरी बहन होना स्वीकार किया है, जिसमें से एक मानसिक विकलांग एवं दूसरी बहन सिलाई-कढ़ाई करना तथा तीसरी बहन कक्षा 9 में

पढ़ती है। प्रतिप्रार्थी ने स्वीकार किया कि प्रार्थी उसके साथ 7-8 माह रही थी तथा वह प्रार्थी के ऊपर खाने के अतिरिक्त रुपये 15-16 रुपये खर्च करता था। प्रार्थी उससे पिछले 4 वर्षों से पृथक रह रही है और पिछले 4 वर्ष के दौरान मंहगाई बढ़ी है। प्रतिप्रार्थी का स्पष्ट कथन है कि प्रार्थी को प्रतिमाह रुपये 3000/- देने में सक्षम नहीं है।

13. इस प्रकार प्रार्थी की साक्ष्य और प्रतिप्रार्थी की स्वीकारोक्ति से यह प्रमाणित होता है कि वर्तमान में प्रार्थी पिछले 4 वर्षों से प्रतिप्रार्थी से पृथक निवास कर रही है और प्रतिप्रार्थी ने आवेदन संस्थित करने के पूर्व प्रार्थी को कोई भी भरण-पोषण की राशि अदा नहीं की है। प्रार्थी ने प्रतिप्रार्थी से पृथक रहने के कारण उसके द्वारा वैवाहिक संबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है और प्रतिप्रार्थी द्वारा मारपीट कर उसे छोड़ना बताया है। प्रार्थी की उक्त साक्ष्य का कोई भी खण्डन प्रतिप्रार्थी की ओर से नहीं किया गया है। प्रार्थी एवं उसके पिता ने प्रार्थी को कक्षा 10 वीं तक शिक्षित होना स्वीकार किया है और प्रार्थी की आय का कोई भी साधन नहीं होना बताया है। प्रतिप्रार्थी की ओर से ऐसी कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रमाणित हो कि प्रार्थी को प्रतिप्रार्थी ने अपने साथ रखने का प्रयास किया अथवा प्रार्थी अपना स्वयं का भरण-पोषण करने में सक्षम है। प्रतिप्रार्थी की ओर से ऐसी कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे यह प्रमाणित हो कि प्रार्थी बिना किसी पर्याप्त कारण के प्रतिप्रार्थी से पृथक निवास कर रही हो। प्रतिप्रार्थी स्वयं ने प्रतिपरीक्षण में अपनी आय प्रतिमाह रुपये 6,700/- शुद्ध प्राप्त होना स्वीकार किया है। प्रकरण चलने के दौरान उभयपक्षों के मध्य विवाह विच्छेद की डिक्री पारित हो चुकी है, जिसके विरुद्ध प्रतिप्रार्थी द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं कर उक्त निर्णय अंतिम हो चुका है। प्रार्थी एवं उसके पिता ने उसके दूसरे विवाह की चर्चा होना स्वीकार किया है लेकिन प्रार्थी का दूसरा विवाह नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में द.प्र.स. की धारा 125 के प्रावधान अनुसार विवाह विच्छेद होने के उपरांत प्रार्थी प्रतिप्रार्थी जो कि उसका पूर्व पति है, अपने पुनर्विवाह होने पर भरण-पोषण की राशि प्राप्त करने की अधिकारी है।

14. इस प्रकार प्रार्थी यह प्रमाणित करने में सफल रही है कि प्रतिप्रार्थी द्वारा अपने वैवाहिक संबंध का पालन नहीं किया जाना तथा प्रार्थी के साथ मारपीट, गाली-गलोच आदि प्रताड़ना कर प्रार्थी को उसके घर से निकाल दिया गया तब से प्रार्थी अपने पिता के घर निवास कर रही है। ओवदिका यह भी प्रमाणित करने में सफल रही है कि वह स्वयं का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी जो कि प्रतिप्रार्थी की विवाह विच्छिन्न पत्नी है, प्रतिप्रार्थी से प्रतिमाह भरण-पोषण की राशि प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रतिप्रार्थी ने स्वयं का वेतन प्रतिमाह रुपये 6,700/- होना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में प्रतिप्रार्थी की आय और उभयपक्षों की सामाजिक स्थिति को देखते हुए प्रार्थी प्रतिप्रार्थी से प्रतिमाह रुपये 2,000/- (अक्षरी दो हजार रुपये मात्र) भरण-पोषण राशि प्राप्त करने की अधिकारी प्राप्त होती है।

15. अतः प्रार्थी का आवेदन द.प्र.स. की धारा 125 स्वीकार करते हुए प्रतिप्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थी का पुनर्विवाह होने तक प्रार्थी को प्रतिमाह 2,000/— रुपये (अक्षरी दो हजार रुपये मात्र) प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अदा करे या न्यायालय में जमा करे।

16. धारा 128 द.प्र.सं. के अंतर्गत इस आदेश की एक प्रतिलिपि प्रार्थी को निःशुल्क अविलम्ब प्रदान की जाए।

17. प्रार्थी का प्रकरण व्यय भी प्रतिप्रार्थी वहन करेगा, जो 2,000/—(अक्षरी दो हजार रुपये मात्र) निर्धारित किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित  
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

**(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)**  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला—बड़वानी

**(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)**  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला—बड़वानी